

भारत सरकार

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र

ए-50, सेंक्टर-62, नोएडा

दिनांक :-26.02.2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय :-रा.म.अ.मौ.पू.के, नोएडा में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों का निवारण करने हेतु यौन उत्पीड़न पर आंतरिक शिकायत समिति के गठन के संबंध में।

इस कार्यालय के समसंख्यक कार्यालय आदेश दिनांक 27.11.2020 के अधिक्रमण एवं कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 (1) में निहित शक्ति के प्रयोग से, रा.म.अ.मौ.पू.के में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों का निवारण करने हेतु आंतरिक शिकायत समिति का गठन निम्नलिखित संरचना के साथ किया गया है।

- | | |
|--|-----------------|
| 1. डॉ० एस. इंदिरा रानी, वैज्ञानिक 'ई' | पीठासीन अधिकारी |
| 2. डॉ० अनुमेहा दुबे, वैज्ञानिक 'डी' | सदस्य |
| 3. श्रीमति अराती पंड्या, पूर्व कार्यकारी निदेशक, सी.ई.सी, नई दिल्ली (एन.जी.ओ के प्रतिनिधि) | सदस्य |
| 4. डॉ० अखिलेश कुमार मिश्रा, वैज्ञानिक 'डी' | सदस्य |
| 5. श्री अशोक रंगा, वरिष्ठ सचिवालय सहायक | संयोजक |

2. समिति के गैर-सरकारी संगठन के सदस्य को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के नियम 3 के अनुसार फीस या भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

3. पीठासीन अधिकारी और समिति के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल समिति के गठन की तारीख से दो वर्षों या अगले आदेश तक होगा।

4. आंतरिक शिकायत समिति कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 21 के अनुसार प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

5. यह आदेश प्रमुख, रा.म.अ.मौ.पू.के. के अनुमोदन से जारी किया गया है।



(मनोज गुप्ता)

निदेशक (स्था/प्रशा)

सेवा में,

1. पीठासीन अधिकारी, समिति के सदस्य और संयोजक.
- ✓ 2. श्रीमति अराती पंड्या, पूर्व कार्यकारी निदेशक, सी.ई.सी, नई दिल्ली, पि ॥ ए154, प्रिंसटोन स्टेट, डीएलएफ सिटी फेस V, गुणगांव, हरियाणा, 122009.
3. निदेशक (प्रशासन / स्थापना), रा.म.अ.मौ.पू.के, नोएडा.
4. सभी अधिकारी एवं कर्मचारी, रा.म.अ.मौ.पू.के, नोएडा
5. सूचना पट्ट
6. गार्ड फाईल